

न्यायालय राजस्व मण्डल नं० प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/07 निगानी

R 908-II/07

श्री. मुकुंदाजी साठे
द्वारा आज दि० 29-5-97 को प्रस्तुत।

अधिवक्ता
राजस्व मण्डल नं० प्र० ग्वालियर

1. रामलाल तनय श्री जागेश्वर कुर्मी सा. बधूमरिया
तहसील चुरहट जिला सीधी (म.प्र.)

..... आवेदक

1. शिवमूरत सिंह तनय श्री चन्द्रकली सिंह
2. कुंज बिहारी सिंह तनय श्री हरिहर सिंह
3. बाबू सिंह तनय श्री हरि हर सिंह
4. विजय राज सिंह तनय हरिहर सिंह

समस्त निवासी ग्राम मुनगहा तहसील चुरहट
पोस्ट कोलडीह जिला सीधी (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र.कं.
491/अपील/92-93 में पारित आदेश दिनांक 21.3.07 के
विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के
अंतर्गत पुनरीक्षण।

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नानुसार निवेदन है कि -

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञा विधि, एवं प्रक्रिया के विरुद्ध है तथा अधिकारिता रहित होने से प्रथम दृष्टिया ही निरस्त योग्य है।
2. यह कि, अधीनस्थ प्रथम अपीली न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील 23 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई थी जो अत्यधिक बेम्याद थी जिससे अधीनस्थ न्यायालय के लिए आवश्यक था कि आदेश 41 नियम 3 जाप्ता दीवानी सहपठित धारा 43


M

मुकुंदाजी साठे
29-5-97 रीवा
ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण संख्यांक: ७०४ गी/०७ जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-2-17	<p>आवेदन क्रमा. ७१ मुजरा मंडल उक्त अनारको खेती की विज्ञापन मांग है। दि. 3-5-17</p> <p>आदेश</p>	<p>3-5-17</p> 
3/5/17	<p>आवेदन क्रमा. ७१ मुजरा मंडल लम्बे आवाज लंबा वही वही कर उपरोक्त नदी की आवाज अनुपस्थित होने के कारण प्रकाश आदेश के लंबे आवाज किया जाता है</p> <p>आदेश</p>	

27/5/17